आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –118 / 2022
केशव प्रसाद वर्मा
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
10.04.2023	प्रस्तुत अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 7433 / 2022 में दिनांक–20.05.2022 को पारित आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के वाद सं0–532 / 2020–21 में दिनांक 02.03.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है :– **"Should the petitioner approach the Divisional Commissioner with a suitable representation/complaint within a period of fifteen days, he shall look into the matter and after giving hearing to all the concerned parties, shall pass a final order within a further period of sixty days, giving reasons in support of the decision taken by him."** वाद का संक्षिप्त विवरणी यह है कि दिनांक 22.10.2019 को वरीय उप समाहर्त्ता–सह–प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पुनरीक्षण (विक्रेता) के दुकान की जाँच की गई एवं निम्न अनियमितता प्रतिवेदित की गई:– 1. जाँच के क्रम में विक्रेता का दुकान बंद पाया गया। 2. विक्रेता द्वारा माह–सितम्बर–2019 का राशन वितरण नहीं पाया गया।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

3. जाँच के क्रम में कृष्णा प्रसाद द्वारा बताया गया कि 35 किग्रा0 गेहूँ और चावल विक्रेता द्वारा दिया जाता है, लेकिन राशि के रूप में 100 रूपया लिया जाता है।

4. जाँच के क्रम में गिरजा कुअर एवं अंजू देवी द्वारा बताया गया कि विक्रेता द्वारा माह–मई एवं जून–2018 से खाद्यान्न नहीं दिया जाता है।

5. बिन्दु देवी उपभोक्ता द्वारा बताया गया कि 19 किग्रा0 चावल, 15 किग्रा0 गेहूँ विक्रेता देते है, उसके एवज में 100 रूपया लेते है, राशन में कटौती भी कर लेते है। कभी–कभी राशन भी नहीं देते है।

6. फुलकुमारी देवी उपभोक्ता द्वारा विक्रेता के विरूद्ध आरोप लगाया गया है। कि राशन कार्ड के अनुसार चावल, गेहूँ दिया जाता है, लेकिन किरासन तेल नहीं दिया जाता है।

7. विक्रेता द्वारा निर्धारित मानक दर से कम मात्रा में राशन उपभोक्ताओं को दिया जाता है, तथा अधिक राशि भी लिया जाता हे। इस बिन्दु पर विक्रेता से उपभोक्ता पुछताछ करते हैं तो विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं के साथ गाली–गलौज तथा मार–पीट भी किया जाता है।

उक्त आरोप के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बगहां ने अपने ज्ञापांक 889/आ0 दिनांक 26.10.2019 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की, जिसका जवाब विक्रेता ने समर्पित किया। प्राप्त जवाब से असंतुष्ट होने पर अनुमंडल पदाधिकारी ने उनके (विक्रेता) अनुज्ञप्ति को अपने आदेश दिनांक 11.02.2020 से रद्द कर दिया। जिसके विरूद्ध विक्रेता ने समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया में वाद सं0–532/2020–21 दायर किया। समाहर्त्ता पश्चिम चम्पारण ने भी अपने मुखर आदेश दिनांक 02.03.2022 से विक्रेता के अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया। जिसके विरूद्ध विक्रेता माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 7433/2022 दायर किया। जिसके

WEB COPY NOT OFFICIAL

आलोक में यह वाद दायर है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार जाँच की तिथि दिनांक 22.10.2019 को विक्रेता को आर0सी0 सं0–01 एवं 02 जमा करने हेतु प्रखंड कार्यालय बुलाया गया था, जिस कारण दुकान बंद थी। विक्रेता हमेशा अपने उपभोक्ताओं को सही मात्रा में राशन देते है तथा निर्धारित राशि ही उपभोक्ता से लेते है। उपभोक्ता गिरिजा देवी एंव अंजू देवी का नाम जन वितरण प्रणाली दुकान के सूची में अंकित नहीं है। आगे इनका काहना है कि माह दिसंबर 2018 तक खाद्यान्न विक्रेता के द्वारा दिया गया लेकिन विक्रेता के दुकान के आवटन से 67 यूनिट का खाद्यान्न M.O के द्वारा काट देने के कारण विक्रेता 07 कार्डधारी को राशन नहीं देता है, जिसमें उक्त कार्डधारी भी है। आगे विक्रेता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि फुलमति का यह कहा जानाा की उन्हें राशन/किरासन तेल नहीं दिया जाता है। गलत है क्योंकि उनके पास कोई राशन कार्ड ही नहीं है। विक्रेता अपने उपभोक्ताओं से कभी दुर्व्यवहार नहीं करते है। अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा ने विक्रेता को सुनवाई का अवसर दिये बगैर गलत तरीका से गलत आरोप के आधार पर इनके अनुज्ञप्ति सं0–87/2007 को रद्द कर दिया जो गलत है। जिला पदाधिकारी ने भी अभिलेख एवं तथ्यों का अवलोकन किये बगैर अपीलार्थी के अपीन के आवेदन को खारिज कर दिया जो गलत है एवं निरस्त होने योग्य है। अंत में विक्रेता के विद्वान अधिवक्ता ने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण करते हुए विक्रेता के अनुज्ञप्ति को रद्द किया है एवं समाहर्त्ता ने अपने मुखर आदेश से विक्रेता के अपील आवेदनन को अस्वीकृत किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

पुनरीक्षणकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी ने पुनरीक्षणकर्ता की अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के पूर्व उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए उनकी अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने की कार्रवाई की गयी है तथा निम्न न्यायालय द्वारा अपने मुखर आदेश से पुनरीक्षणकर्ता की अपील अस्वीकृत की गयी है, जिससे प्रस्तुत मामले में निम्न न्यायालय के आदेश में कोई प्रक्रियात्मक/वैधानिक त्रुटि नहीं है।

पुनरीक्षणकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दुकान के संचालन में बरती गयी अनियमितता के लिए अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञप्ति पदाधिकारी ने पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया। जहॉ तक पुनरीक्षणकर्ता के इस दावे का प्रश्न है कि जॉच के दिन विक्रेता आर0सी0–01 एवं आर0सी0–02 जमा करने कार्यालय गये थे जिस कारण दुकान बंद थी। इस संबंध में सर्वप्रथम उल्लेखनीय यह है कि पुनरीक्षणकर्ता के इस दावे का कोई साक्ष्य उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित नहीं किया गया है। साथ ही बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), 2016 के नियम 14(xii) में स्पष्ट अंकित है कि ***अनुज्ञप्तिधारी अनुसूचि–08 में तथा उसका प्रतिनिधि अनुसूचि 09 में अनुज्ञापन पदाधिकारी के निर्गत पहचान पत्र रखेगा। अनुज्ञापन पदाधिकारी उचित मूल्य के दुकान के कारोबार मे सहायता करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी को एक प्रतिनिधि रखने की अनुमति दे सकते है।*** निर्धारित अवधि में हर हाल में दुकान खुली रखना है। उक्त प्रावधान भी

WEB COPY NOT OFFICIAL

इसीलिए बनाया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी को अपने दुकान से संबंधित कार्य यथा बैंक–ड्राफ्ट, खाद्यान्न का उठाव, विभागीय बैठक तथा कोई आवश्यक कार्य आ जाने पर उनके प्रतिनिधि (अनुज्ञप्तिधारी के) उपस्थित रहे एवं उपभोक्ताओं को किसी तरह असुविधा न हो। इसलिए उनका यह दावा मान्य नहीं हो सकता है। निर्धारित अवधि में दुकान बंद रखना, निर्धारित मात्रा से कम अनाज देना एवं अधिक राशि लेना एवं वरीय पदाधिकारी द्वारा कागजात मांगे जाने पर उपब्ध नहीं कराने जैसा कृत्य बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), 2016 के नियम 14 (i), (viii) एवं 25 (i) (क) के प्रतिकूल है ।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL